न्यायालय : अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

{अंतर्गत स्वापक औषधियाँ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985}

(समक्ष– विवेक बुखारिया)

मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक –1–6–89/21–बी (1) 5165/2018 दिनांक 14.11.2018 द्वारा सशक्त।

निर्णय की तारीख– 17 अक्टूबर, 2025

Reg. No. SCNDPS/38/2018
Filling No. 1691/2018
CNR No. MP1401-002230-2018
Filling Date- 01-05-2018

(पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 354/2017, अंतर्गत धारा 8/15, 25, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट से उद्भुत विशेष प्रकरण)

अभियोगी	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र नाहरगढ़, जिला–मंदसौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रमेश गामड़, विशेष लोक अभियोजक।
विरूद्ध	
अभियुक्त–1	दशरथ सिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया, उम्र–45 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम वादपुर थाना नारायणगढ़, जिला–मंदसौर (मध्यप्रदेश)
अभियुक्त–2	विजयसिंह उर्फ टूजी पिता उदयसिंह सौंधिया, उम्र–27 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम चिल्लौद पिपलिया, तहसील मल्हारगढ़ थाना नारायणगढ़, जिला–मंदसौर (मध्यप्रदेश)
अभियुक्त–3	उदयसिंह उर्फ शकील पिता बापूसिंह सौंधिया, उम्र–44 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी– ग्राम तुर्किया, थाना नारायणगढ़, जिला–मंदसौर (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शेख बशीरूद्दीन, अधिवक्ता।
अभियुक्त–4	अम्बालाल पिता उदयराम गायरी, उम्र–33 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी– ग्राम देवरी, तहसील मल्हारगढ़, जिला–मंदसौर (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री घनश्यामसिंह चौहान, अधिवक्ता।
अभियुक्त–5	प्रहलादसिंह पिता गोकुलसिंह, उम्र–27 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी– ग्राम कड़िया, तहसील सुसनेर,

Contd. ---- 2

	जिला–आगर (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित माखीजा, अधिवक्ता।

मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन 2022 के नियम 238–क(2) के पालन में प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

अपराध की तारीख	02.11.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	02.11.2017
अभियोग पत्र की तारीख	01.05.2018 एवं 11.11.2021
आरोप विरचना की तारीख	06.08.2018 एवं 11.03.2022
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	24.10.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	06.10.2025
निर्णय की तारीख	17.10.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	17.10.2025

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा करने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत निरोधावधि
1.	दशरथसिंह	02.11.2017	02.08.2021	Sec. 8(C)/15(C) NDPS Act	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 06.11.2017 से दिनांक 02.08.2021 तक
2.	विजयसिंह	03.05.2018	15.06.2018	Sec. 8(C)/15(C) NDPS Act	दोषमुक्ति		दिनांक 05.05.2018 से दिनांक 15.06.2018 तक
3.	अम्बालाल	15.12.2017	12.07.2018	Sec. 8(C)/15(C) Read with 29 NDPS Act	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 26.12.2017 से दिनांक 12.07.2018 तक
4.	उदयसिंह उर्फ शकील	22.11.2018	अग्रिम जमानत	Sec. 8(C)/15(C) Read with 29 NDPS Act	दोषमुक्ति	निरंक	अग्रिम जमानत (निरंक)
5.	प्रहलाद	29.10.2018	अग्रिम जमानत	Sec. 8(C)/15(C) Read with 29 NDPS Act	दोषमुक्ति	निरंक	अग्रिम जमानत (निरंक)

Contd. -----3

प्रारूप–च–अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क–अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
अ.सा.1	आशीष राठौर	धारा 52 ए एन.डी.पी.एस.एक्ट की कार्यवाही संपादित करने वाला कार्यपालक दंडाधिकारी
अ.सा.2	आरक्षक लाखन सिंह	धारा 42 / 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन ले जाने वाला पुलिस साक्षी
अ.सा.3	पंकज कुमार	धारा 42 / 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन प्राप्त करने वाला पुलिस साक्षी
अ.सा.4	कन्हैयालाल	मालखाना प्रभारी / एच.सी.एम
अ.सा.5	लाखनसिंह	पुलिस साक्षी / सहविवेचक
अ.सा.6	मनभावन	जप्तशुदा सेम्पल को एफ.एस.एल. ले जाने वाला साक्षी / पुलिस साक्षी
अ.सा.7	औंकारसिंह ठाकुर	पुलिस साक्षी / जप्तीकर्ता
अ.सा.8	समरथ सीनम	पुलिस साक्षी / सहविवेचक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी–1 / अ.सा.–1	धारा 52ए की कार्यवाही हेतु तारीख नियत करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित पत्र
2	प्र.पी–2 / अ.सा.–1	धारा 52ए की कार्यवाही हेतु तारीख नियत करने की आदेश पत्रिका

Contd. -----4

3	प्र.पी—3 / अ.सा.—1	धारा 52ए की कार्यवाही की आदेश पत्रिका
4	प्र.पी—4 / अ.सा.—1	तालिका
5	प्र.पी—5 लगायत प्र.पी—14 / अ.सा.—1	फोटोग्राफ
6	प्र.पी—15 / अ.सा.—2	धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन
7	प्र.पी—16 / अ.सा.—2	धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन
8	प्र.पी—17 / अ.सा.—4	पुनः सीलबंद पंचनामा
9	प्र.पी—18 / अ.सा.—4	जप्ती माल रजिस्टर
10	प्र.पी—19 / अ.सा.—5	मेमोरंडम / दशरथसिंह
11	प्र.पी—20 / अ.सा.—5	तस्दीक पंचनामा
12	प्र.पी—21 / अ.सा.—5	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
13	प्र.पी—22 / अ.सा.—5	एफ.एस.एल. जमा रसीद
14	प्र.पी—23 / अ.सा.—5	एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट
15	प्र.पी—24 लगायत प्रदर्श पी. 26 / अ.सा.—5	तस्दीक पंचनामा
16	प्र.पी—27 / अ.सा.—5	नजरी नक्शा हेतु तहसीलदार को लेख पत्र
17	प्र.पी—28 / अ.सा.—5	राजस्व नजरी नक्शा
18	प्र.पी—29 / अ.सा.—7	मुखबिर सूचना का पंचनामा
19	प्र.पी—30 / अ.सा.—7	सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा
20	प्र.पी—31 / अ.सा.—7	संदेही का नाम पता पूछने एवं मुखबिर सूचना से अवगत कराने का पंचनामा
21	प्र.पी—32 / अ.सा.—7	फरारी पंचनामा / विजयसिंह
22	प्र.पी—33 / अ.सा.—7	धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र / दशरथसिंह
23	प्र.पी—34 / अ.सा.—7	सहमति पंचनामा / अभियुक्त दशरथसिंह
24	प्र.पी—35 / अ.सा.—7	लिखित सहमति / अभियुक्त दशरथसिंह
25	प्र.पी—36 / अ.सा.—7	फोर्स, वाहन, पंच, अनुंसधान सामग्री की तलाशी पंचनामा
26	प्र.पी—37 / अ.सा.—7	संदेही व वाहन की तलाशी पंचनामा
27	प्र.पी—38 / अ.सा.—7	मादक पदार्थ पहचान पंचनामा
28	प्र.पी—39 / अ.सा.—7	तौल कांटा का सत्यापन पंचनामा

Contd. -----5

29	प्र.पी–40 / अ.सा.–7	मादक पदार्थ तौल पंचनामा
30	प्र.पी–41 / अ.सा.–7	मादक पदार्थ समरस पंचनामा
31	प्र.पी–42 / अ.सा.–7	सेंपल निकालने, करने सीलबंद व आर्टिकल देने का पंचनामा
32	प्र.पी–43 / अ.सा.–7	पंचनामा नमूना सील
33	प्र.पी–44 / अ.सा.–7	जप्ती पत्रक / दशरथसिंह
34	प्र.पी–45 / अ.सा.–7	गिरफतारी पत्रक / दशरथसिंह
35	प्र.पी–46 / अ.सा.–7	पूंछताछ पंचनामा / दशरथसिंह
36	प्र.पी–47 / अ.सा.–7	गिरफतारी के कारणों से अवगत कराने का पंचनामा
37	प्र.पी–48 / अ.सा.–7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
38	प्र.पी–49 / अ.सा.–7	नक्शा मौका
39	प्र.पी–50 लगायत प्र. पी–61 / अ.सा.–7	रोजमामचा सान्हा
40	प्र.पी–62 / अ.सा.–8	गिरफतारी पत्रक
41	प्र.पी–63 / अ.सा.–8	प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी की जानकारी के लिए आर.टी.ओ. को लेख पत्र
42	प्र.पी–64 / अ.सा.–8	प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी की आर.टी.ओ. से प्राप्त जानकारी

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची–

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	निरंक	निरंक

ग–न्यायालयीन प्रदर्श

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं–

क्र	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	आर्टिकल–ए–1 लगायत ए–10	मूल माल (नष्टीकृत)
2.	आर्टिकल–बी–1, बी–2, व बी–3, बी–4	आर्टिकल / सेम्पल
3.	01 वाहन	सफेद रंग की बोलेरो जीप आर.जे.–27–यू.ए.–4499

Contd. -----6

{ निर्णय }

(आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को घोषित)

1. अभियुक्त दशरथसिंह एवं विजयसिंह पर धारा 8(सी)/15(सी) एन.डी.पी.एस.एक्ट (अत्र पश्चात् 'अधिनियम' से संबोधित) के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.11.17 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उससे पूर्व स्थान ग्राम डिगांव–बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर पर वाहन बोलेरो क्रमांक आर जे 27 यू ए 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल मात्रा 225 किलोग्राम जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का विनिर्मित उत्पाद होकर मादक पदार्थ है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका अवैध परिवहन किया, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था।

2. अभियुक्त अम्बालाल, उदयसिंह, प्रहलाद पर धारा 8(सी)/15(सी) सहपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दशरथसिंह एवं विजयसिंह उर्फ टूजी के साथ मिलकर मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन करने का आपराधिक षड्यंत्र किया जिसके अग्रसरण में दिनांक 02.11.2017 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उसके पूर्व ग्राम डिगांव बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर पर सहअभियुक्तगण दशरथसिंह व विजयसिंह उर्फ टूजी वाहन बोलेरो क्रमांक आर.जे. 27 यू.ए. 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल 225 किलोग्राम, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का मादक पदार्थ है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन करते हुए और उसके क्रय–विक्रय की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होना पाये गये, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन के आगे सहअभियुक्त उदयसिंह व अंबालाल पायलेटिंग करते हुए चल रहे थे और उक्त माल प्रहलाद को देने जा रहे थे, इस प्रकार उन्होंने अपराध में दुष्प्रेरण कर अपराध को सुकर बनाया।

3. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण के सहअभियुक्त सत्तार मोहम्मद के विरूद्ध धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत उक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध विचारण के दौरान कोई पूरक अभियोग पत्र थाना नाहरगढ़ के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त निर्णय अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध ही उद्घोषित किया जा रहा है।

4. अभियोजन कथानक सारतः इस प्रकार है कि थाना नाहरगढ़ के सहायक उपनिरीक्षक ओ.एस. ठाकुर को दिनांक 02.11.2017 को 13.30 बजे मुखबिर ने टेलीफोन

Contd. -----7

से सूचना दी कि दशरथसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया निवासी बादपुर तथा विजयसिंह उर्फ टुजी पिता उदयसिंह निवासी चिल्लोद पिपलिया दोनों सफेद रंग की बोलेरो जीप आर.जे.27 यू.ए. 4499 में डोड़ाचुरा मादक पदार्थ तुरकिया से लेकर जग्गाखेडी होते हुये सुवासरा की तरफ जा रहे थे, जिनकी बोलेरो गाड़ी बेखेड़ा फंटे पर पलटी खा गई हैं, दशरथसिंह को चोट लगने से गाड़ी में फंसा हुआ हैं, तत्काल पंहुचने पर दशरथसिंह व विजयसिंह को डोडाचूरा व बोलेरो गाड़ी सहित पकड़ा जा सकता हैं। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से रोजनामचा सान्हा पर दर्ज किया जाकर मुखबिर की सूचना लीक न हो सके, इस कारण थाने पर उपस्थित फोर्स प्रधान आरक्षक राधेश्याम मीणा, आरक्षकगण जुल्फीकार, शैलेन्द्रसिंह, राकेश, लाखनसिंह को मुखबिर कि सूचना बताकर सभी फोर्स को तत्काल दबिश हेतु तैयार होने के सम्बंध में बताया। अधिक समय लगने पर अभियुक्त के फरार हो जाने की पूर्ण सम्भावना होने से कारणों का उल्लेख करते हुये सर्च वारंट न प्राप्त करने का पंचनामा बनाया। दोनो पंचनामा बनाने की सूचना कंट्रोल रूम बताने की रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया जाकर धारा 42 एन.डी. पी.एस. एक्ट के पालन में मुखबिर सूचना का पंचनामा तथा सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा मय रोजनामचा सान्हा के साथ एस.डी.ओ.पी. मन्दसौर को देने हेतु आरक्षक लाखनसिंह को देकर रवाना किया।

5. अभियोजन कथानक सारतः अग्रिम रूप में इस प्रकार भी है कि मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने से फोर्स तथा कम्प्युटर ऑपरेटर आरक्षक 208 लाखनसिंह को लेपटॉप प्रिंटर एवं प्रिंट पेपर, चार्जर एवं विवेचना का सभी सामान, इलेक्ट्रिक तौल कांटा एवं अन्य आवश्यक सामान लेकर बेखेड़ा फंटे हेतु प्रायवेट वाहन से रवाना होकर थाने के आगे रोड से दो पंचान कमल पिता हीरालाल खारोल एवं गोपाल पिता देवीलाल लौहार को मुखबिर की सूचना बताकर साथ लेकर बेखेड़ा फंटे पर पंहुचा। मुखबिर के द्वारा बताये अनुसार बेखेड़ा फंटा के प्रतिक्षालय के पास रोड से बांये तरफ बोलेरो गाड़ी आर.जे 27यु.ए.4499 पलटी खाई हुई मिली जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था तथा गाड़ी में काले रंग के प्लास्टिक के बोरों में सामान भरा हुआ था, जिसे हमराही फोर्स व पंचान की मदद से सीधा कराया व गाड़ी में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूंछा तो अपना नाम दशरथसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया उम्र 38 वर्ष निवासी बादपुर का होना तथा अपने साथी ड्रायवर विजयसिंह उर्फ टुजी को गाड़ी पलटी खाने के बाद उतरकर फरार होना बताया। गाड़ी की पलटी खाने से दशरथसिंह को नाक पर व घुटनों पर चोट लग गई थी जिसका मौके पर प्राथमिक उपचार किया। एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञात्मक प्रावधानों का पालन करते हुए धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट का नोटिस देकर लिखित सहमति लेते हुए अभियुक्त दशरथ के कब्जे वाली प्रश्नगत बोलेरो जीप की तलाशी लिये जाने पर

Contd. -----8

कुल 10 बोरों में कुटा छिलके जैसा सामान भरा होना पाया, जिसके बारे में दशथसिंह से पूंछने पर डोडाचूरा होना बताया। उक्त बोरों का मुंह खोलकर उसने व हमराही फोर्स व पंचान ने देखकर, सूंघकर व जलाकर देखा तो सभी ने कुटा हुआ डोड़ाचुरा मादक पदार्थ होना बताया, साथ में लाये इलेक्ट्रिक कांटे से अभियुक्त दशरथसिंह के कब्जे से मिलें सभी बोरो को अलग–अलग तौल किया सभी बोरों में कुल 225 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया, जिसे मार्का ए–1 से लगायत ए–10 तक के चिन्ह से चिन्हित किया। सभी बोरों को प्लास्टिक के त्रिपाल पर खाली कर अच्छी तरह से समरस किया जाकर रासायनिक जांच के लिये समरस किये मादक पदार्थ में से 500–500 ग्राम के दो सैम्पल अलग–अलग प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में निकालकर पॉलिथीन की थैली को सुथली से बांधकर कपड़े की अलग–अलग थैलियों में रखकर थैली का मुंह सुई धागे से सिलकर सीलबन्द व पंचान, अभियुक्त के हस्ताक्षरित चिट से चिटबन्द कर बी–1, बी–2 से चिन्हित किया। शेष बचे डोडाचूरा को वजन के अनुसार बोरो में भरकर बोरो का मुंह सुथली से सिलकर सीलबन्द कर ए–1 लगायत ए–10 के चिन्ह से चिन्हित किया। सैम्पल व बोरों पर लगाई गई सील का सील नमुना तैयार किया। अभियुक्त दशरथसिंह के कब्जे से मिले डोड़ाचुरा को लाने–ले जाने के लायसेंस के बारे में पूंछा तो नहीं होना बताया। अभियुक्त दशरथसिंह के कब्जे से मिले सभी बोरों में भरा डोड़ाचुरा आर्टिकल ए1 लगायत ए–10 तथा दोनो सैम्पल आर्टिकल बी–1, बी–2 एवं अभियुक्त के कब्जे से मिली बोलेरो गाड़ी क्र. आर.जे.27 यु.ए.4499 को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया।

6. अभियोजन कथानक सारतः अग्रिम रूप में इस प्रकार भी है कि अभियुक्त दशरथसिंह से जप्तशुदा डोडाचूरा के बारे में पूंछताछ किये जाने पर उसने अम्बालाल गायरी निवासी देवरी, उदयसिंह उर्फ शकील द्वारा बोलेरो गाड़ी में डोड़ाचुरा भरकर देना तथा जय अम्बे ढाबा सुसनेर के पास प्रहलादसिंह को देने जाते समय गाड़ी पलटी हो जाना बताया। सभी कार्यवाही के पश्चात् हमराही फोर्स की मदद से बोरो को बोलेरो गाड़ी में रखवाकर बोलेरो गाड़ी को ट्रेक्टर से टोचन करवाकर हमराही फोर्स के साथ अभियुक्त दशरथसिंह को लेकर वापस थाना आकर वापसी पर जप्तशुदा वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखकर एवं जप्तशुदा माल को मालखाने में रखने हेतु एच. सी.एम. के जिम्में किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 354/2017 पर धारा 8,15,29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा डोडाचूरा की जाँच एफ.एस.एल. इंदौर से करवाई जाकर जाँच रिपोर्ट में ओपियम पाँपी कैप्सुल के टुकड़े होना पाया गया।

7. अभियोजन कथानक सारतः अग्रिम रूप में इस प्रकार भी है कि विवेचना के दौरान अभियुक्त अम्बालाल गायरी थाना नारायणगढ़ के अपराध क्रमांक 241/17

धारा 8,15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 27.11.17 से जिला जेल मंदसौर में निरुद्ध होने से विधिवत अनुमति प्राप्त कर दिनांक 15.12.17 को अभियुक्त अम्बालाल गायरी की जिला जेल मंदसौर में फार्मल गिरफ्तारी की गई। प्रश्नगत वाहन बोलेरो क्रमांक आर जे 27 युए 4499 सत्तार मोहम्मद पिता मांगु खान जिला जोधपुर राजस्थान के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया जो तलाश करने पर घर व गाँव मे नही मिला। वाहन स्वामी सत्तार मोहम्मद के विरुद्ध प्रकरण में धारा 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का इजाफा किया गया। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण दशरथ, विजयसिंह, अंबालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद के विरूद्ध दिनांक 01.05.2018 एवं दिनांक 11.11.2021 का अभियोग पत्र प्रस्तुत किये गये।

8. अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णय की कंडिका 1 व 2 के तहत आरोप—पत्र विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उनके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में यह प्रकट किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठे प्रकरण में असत्य रूप से आलिप्त किया गया है। अभियुक्त दशरथ के द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि उसका किसी अपराध से कोई लेना—देना नहीं है और वह सत्तार पिता मांगूखॉ को नहीं जानता है। प्रतिरक्षा का अवसर दिए जाने पर उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

9. न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :—

01. क्या अभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह ने दिनांक 02.11.17 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उससे पूर्व स्थान ग्राम डिगांव—बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर पर वाहन बोलेरो क्रमांक आर जे 27 यू ए 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल मात्रा 225 किलोग्राम जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का विनिर्मित उत्पाद होकर मादक पदार्थ है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका अवैध परिवहन किया, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था?

02. क्या अभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह, प्रहलाद ने सहअभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह उर्फ टूजी के साथ मिलकर मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन करने का आपराधिक षड्यंत्र किया, जिसके अग्रसरण में दिनांक 02.11.2017 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उसके पूर्व ग्राम डिगांव बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़,

जिला मंदसौर पर सहअभियुक्तगण दशरथसिंह व विजयसिंह उर्फ टूजी वाहन बोलेरो क्रमांक आर.जे. 27 यू.ए. 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल 225 किलोग्राम, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का मादक पदार्थ है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन करते हुए और उसके क्रय–विक्रय की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होना पाये गये, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन के आगे सहअभियुक्त उदयसिंह व अंबालाल पायलेटिंग करते हुए चल रहे थे और उक्त माल प्रहलाद को देने जा रहे थे, इस प्रकार उन्होंने अपराध में दुष्प्रेरण कर अपराध को सुकर बनाया?

<u>// सकारण निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार //</u>

10. उपरोक्त विचारणीय बिंदू परस्पर संबंधित होने तथा एक ही घटनाक्रम व साक्ष्य पर आधारित होने से एकसाथ विचार में लिये जा रहे हैं।

11. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 02.11.2017 को थाना नाहरगढ़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दशरथ पिता भंवरसिंह सौधिया तथा विजयसिंह उर्फ टुजी पिता उदयसिंह निवासी– चिल्लौद पिपलिया का दोनों सफेद रंग की बोलेरो क्रमांक आर.जे.27–यू.ए.–4499 में डोडाचूरा मादक पदार्थ तुरकिया से लेकर जग्गा खेडी से सुवासरा की तरफ जा रहे हैं, जिनकी बोलेरो गाड़ी बेखेडा फंटे पर पलटी खा गयी है, दशरथसिंह को चोट लगने से गाड़ी में फंसा हुआ है। तत्काल पहुंचने पर दशरथ सिंह और उदयसिंह को डोडाचूरा सहित पकडा जा सकता है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया जाकर प्रधान आरक्षक राधेश्याम मीणा, आरक्षक जुल्फिकार, आरक्षक शैलेन्द्रसिंह, आरक्षक राकेश, आरक्षक लाखनसिंह को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर तथा मुखबिर सूचना पर दबिश हेतु तैयार करने के संबंध में बताया जाकर मुखबिर सूचना का पंचनामा प्रदर्श पी–29 तैयार किया था। मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करने हेतु सर्च वारण्ट प्राप्त करने की आवश्यकता थी किंतु सर्च वारण्ट प्राप्त करने में अधिक समय लग जाता, इस कारण सबब कारण का उल्लेख करते हुये सर्च वारण्ट न प्राप्त करने का पंचनामा प्रदर्श पी–30 तैयार किया था। तत्पश्चात उसके द्वारा धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये धारा 42 की सूचना तैयार कर सूचना के प्रतिवेदन प्रदर्श पी–14 के साथ मुखबिर सूचना का पंचनामा, सर्च वारण्ट न प्राप्त करने का पंचनामा व रोजनामचा सान्हें की नकल दो प्रतियों मे आरक्षक को देकर एस.डी.ओ.पी. अनुभाग मंदसौर को देने हेतु रवाना किया था।

12. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि मुखबिर सूचना कब मिली थी, उसका समय उसे ध्यान नहीं है। उसे थाने पर मुखबिर सूचना मिली थी। मुखबिर ने सूचना स्वयं थाने पर आकर दी थी, जबकि अभियोजन कहानी एवं प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 के प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मुखबिर के द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गई थी, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया कि मुखबिर सूचना का पंचनामा उसने किस दिनांक को किस समय बनाया था, वह आज नहीं बता सकता हैं, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि केस डायरी देखकर बता सकता हैं। उक्त साक्षी ने उक्त सुझाव से इंकार किया कि दोनों सूचनायें उसने एक साथ ही भेजी थी। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि वह सूचना मिलने के कितनी देर बाद थाने से घटनास्थल के लिये रवाना हुआ था, आज वह समय नहीं बता सकता, वह कितने देर बाद पहुंचा था उसका समय आज उसे याद नहीं है। वह किस वाहन से गया था वह आज नहीं बता सकता। उक्त साक्षी को तात्विक तथ्यों का स्मरण नहीं है, किंतु क्यों नहीं है, उक्त संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जबकि उक्त जप्तीकर्ता साक्षी मुख्य परीक्षण में तथ्य प्रकट कर रहा है और उक्त साक्षी का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण एक ही दिनांक को लेखबद्ध किया गया था, ऐसे में उसे मुख्य परीक्षण में प्रकट किये गये तथ्यों के संबंध में प्रतिपरीक्षण में प्रश्न किये जाने पर उनका युक्तियुक्त उत्तर देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है।

13. प्रतिपरीक्षण के दौरान ओंकारसिंह (अ.सा.07) ने अपने कथन में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–14 व प्रदर्श पी–15 की सूचना का क्रमांक कमशः 244/17 व 245/17 है, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि सहवन से हो गया। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मुखबिर सूचना का पंचनामा व धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन/सूचना उसके द्वारा एक साथ ही भेजी गई थी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार मुखबिर सूचना का पंचनामा धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रतिवेदन प्रदर्श पी.15 के साथ भेजा गया था न कि 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रतिवेदन के साथ भेजा गया था और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि उक्त साक्षी के द्वारा धारा 42 व धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रतिवेदन एक साथ भेजे गये थे क्योंकि उनके जावक का सिरियल नंबर एक ही क्रम में लगातार 944/2017 एवं 945/2017 है और जिससे यह भी स्पष्ट प्रकट होता है कि उक्त साक्षी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को प्रकट करना नहीं चाह रहा है।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन रवानगी सान्हा प्रदर्श पी.53 के अनुसार दिनांक 02.11.2017 को

Contd. -----12

14.41 बजे भेजा गया था, जिसका थाने का जावक क्रमांक 944/2017 है और धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन रवानगी सान्हा प्रदर्श पी.58 के अनुसार दिनांक 03.11.2017 को सुबह 11.38 बजे भेजा गया था, जिसका थाने का जावक क्रमांक 945/2017 है, जो कि लगातार क्रम से है, जबकि उनके भेजे जाने के समयान्तराल के बीच में लगभग 20–21 घंटे का अंतर है, ऐसे में यह संभव नहीं है कि थाना नाहरगढ़ से उक्त 20–21 .घंटे के अंदर कोई डाक जावक नहीं हुई हो और जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त दोनों प्रतिवेदन एक साथ तैयार करके भेजे गये हैं और जिससे अभियोजन कहानी पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। उक्त तर्क के आलोक में प्रकरण का परिशीलन किये जाने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रदर्श पी.53 एवं पी.58 के रोजमामचा सान्हा के अनुसार उनके भेजे जाने के समय में लगभग 20–21 घंटे का अंतर है, किंतु दोनों प्रतिवेदन भेजे जाने पर जावक क्रमांक क्रमशः 944/2017 एवं 945/2017 दर्शित किया गया है, जो कि स्वाभाविक सा प्रतीत नहीं होता है कि थाना नाहरगढ़ जैसे बड़े थाने से दिन के समय में उक्त 20–21 घंटे में कोई डाक जावक नहीं की गई हो और जिससे उनके उक्त तर्क को बल मिलता है।

15. लाखनसिंह (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 02.11.17 को थाना नाहरगढ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाने से एक बंद लिफाफा जावक क्रमांक 944/17 का देकर बताया था कि धारा–42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रतिवेदन प्रदर्श पी–15 मय मुखबिर सूचना पंचनामा व सर्च वारंट न प्राप्त कर सकने का पंचनामा एस.डी.ओ.पी. कार्यालय मंदसौर में देना है। वह एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में पौने तीन–तीन बजे रवाना होकर लगभग साढे तीन बजे पहूँच गया, जहां एस.डी.ओ.पी. नहीं थे, संपर्क नहीं हुआ, इस कारण उक्त डाक उसने रीडर प्रधान आरक्षक पंकज कुमार को देकर प्राप्ति ली थी।

16. लाखनसिंह (अ.सा.02) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि अगले दिन दिनांक 03.11.2017 के लगभग 11:30 बजे धारा–57 का विस्तृत प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 उसे थाने से देकर एस.डी.ओ.पी. कार्यालय मंदसौर में भेजा था। एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में नहीं थे, संपर्क नहीं हुआ, इस कारण उक्त डाक उसने रीडर प्रधान आरक्षक पंकज कुमार को देकर प्राप्ति ली थी।

17. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखन सिंह (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि वह सुबह 9 बजे से थाने पर उपस्थित था। टी.आई. उसे उस वक्त वहां नहीं मिले थे। थाने पर एच.सी.एम., ए.एस.आई. औंकारसिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक राधेश्याम, आरक्षक राकेश शर्मा, आरक्षक मोहर्रिर जुल्फिकार और आरक्षक शैलेन्द्रसिंह उपस्थित थे। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सुबह 9 बजे से जब तक उसे डाक मिली तब तक थाने पर कोई पब्लिक का आदमी नहीं आया था

Contd. -----13

और न ही उसने देखा था। उसे पौने तीन बजे के आसपास डाक मिल गयी थी। उसे डाक एच.सी.एम. ने दी थी। वह डाक लेकर स्वयं के वाहन से गया था। वह डाक लेकर करीब साढे 4:30 बजे लगभग एस.डी.ओ.पी. कार्यालय पहुंच गया था। उसने पहुंचते ही डाक एस.डी.ओ.पी. रीडर को दे दी थी, जबकि उक्त साक्षी के द्वारा डाक 05.00 बजे के लगभग दी गई थी, उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी से भिन्न यह भी प्रकट किया कि वह एस.डी.ओ.पी. कार्यालय 15–20 मिनट रूका था, जबकि पंकज कुमार (अ.सा.03) अपने कथन में यह प्रकट करता है कि उक्त साक्षी मात्र 05 मिनट कार्यालय पर रूका था, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है, अब यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि उक्त साक्षी कार्यालय में 15–20 मिनट रूका था और उक्त समय के दौरान उसके द्वारा उक्त डाक दी गई थी तो भी उक्त डाक उक्त साक्षी के द्वारा 04.50 बजे लगभग दी गई थी, न कि शाम 05.00 बजे दी गई थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह डाक रीडर को देने के लिये नहीं ले गया था, एस.डी.ओ.पी. को देने के लिये ले गया था, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि एस.डी.ओ.पी. के अनुपस्थिति में डाक रीडर को दी जाती है।

18. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखन सिंह (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसने मोबाईल से, वायरलैस सेट से एस.डी. ओ.पी. की लॉकेशन जानने की कोशिश नहीं की और न ही उनसे मोबाईल व वायलेंस से संपर्क किया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि एस.डी.ओ.पी. की गाड़ी में और एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में वायरलेस सेट रहता है। उसके सामने रीडर ने एस.डी. ओ.पी. से वायरलेस के माध्यम से या मोबाईल से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। वह डाक देकर 6–6:30 बजे पहुंच गया था और उसने डाक एच.सी.एम. को 6:30 बजे के आसपास दे दी थी। डाक वह बंद लिफाफें में लेकर गया था, उसमें क्या था, वह नहीं बता सकता, जबकि उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण में मुखबिर सूचना पंचनामा, सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा मय धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रतिवेदन भेजे जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है।

19. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखन सिंह (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि दूसरी डाक उसे अगले दिन मिली थी। दूसरी बार वह डाक खुली लेकर गया था लिफाफें में बंद नहीं थी। दूसरी बार डाक उसे साढे 11 बजे के आसपास मिली थी। दूसरी डाक भी उसे एच.सी.एम. ने दी थी। वह आधे घ ण्टे के बाद एस.डी.ओ.पी. कार्यालय पहुंच गया था। वह वापस थाने डेढ बजे वापस थाने पहुंच गया था।

20. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखन सिंह (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि धारा–42 की सूचना का क्रमांक 944 / 17

Contd. -----14

व धारा–57 की सूचना का क्रमांक 945 / 17 है।

21. पंकज कुमार भम्भौरिया (अ.सा.03) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 02.11.2017 को प्रधान आरक्षक रीडर के पद पर एस.डी.ओ.पी. कार्यालय मंदसौर में पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना नाहरगढ़ से आरक्षक लाखनसिंह धारा–42 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी–15 मय मुखबिर सूचना पंचनामा व सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा 2 प्रति में एस.डी.ओ.पी. को देने हेतु लाया था। एस.डी.ओ.पी. के बाहर होने से उनसे संपर्क नहीं हुआ, इस कारण उक्त आरक्षक से डाक उसने प्राप्त कर, एक प्रति कार्यालय में रखकर, एक प्रति पर प्राप्ति की टीप अंकित कर उक्त आरक्षक को वापस की थी।

22. पंकज कुमार भम्भौरिया (अ.सा.03) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दिनांक 03.11.2017 को ही उक्त आरक्षक समय दिन के लगभग 12:30 बजे बजे धारा–57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 दो प्रति में एस.डी.ओ.पी. को देने हेतु लाया था। एस.डी.ओ.पी. नहीं मिले, संपर्क नहीं हुआ, इस कारण उक्त आरक्षक से डाक उसने प्राप्त कर, एक प्रति कार्यालय में रखकर, एक प्रति पर प्राप्ति की टीप अंकित कर उक्त आरक्षक को वापस की थी। प्राप्त नस्ती एस.डी.ओ.पी. के आने पर उनके समक्ष प्रस्तुत की थी।

23. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी पंकज कुमार भम्भौरिया (अ.सा.03) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि पहली बार आरक्षक डाक लेकर शाम को आया था। आरक्षक डाक को खुली लेकर आया था, जबकि साक्षी लाखनसिंह (अ.सा.02) अपने कथन में यह प्रकट करता है कि लिफाफा बंद लाया था, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया कि आरक्षक डाक को टपालबुक में इंद्राज करके नहीं लाया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 का नाहरगढ थाने का जावक क्रमांक क्रमशः 944 / 17 व 945 / 17 है। उसने एस.डी.ओ.पी. की लॉकेशन जानने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हुआ था। उसने एस.डी.ओ.पी. की लॉकेशन कंट्रोल रूम पर ज्ञात नहीं की थी।

24. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी पंकज कुमार भम्भौरिया (अ.सा.03) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि डाक उसके नाम की नहीं थी एस.डी.ओ.पी. के नाम की थी। आरक्षक उसके कार्यालय में सिर्फ 5 मिनट रूका था। दूसरी बार आरक्षक दूसरे दिन आया था। दूसरी बार भी आरक्षक डाक खुली लेकर आया था। आरक्षक डाक को टपालबुक में इंद्राज करके नहीं लाया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 का नाहरगढ थाने का जावक क्रमांक क्रमशः 944 / 17 व 945 / 17 है। उसने एस.डी.ओ.पी. की लॉकेशन जानने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हुआ था। दूसरी बार भी आरक्षक कार्यालय में 5 मिनट

ही रूका था। उसने दूसरे दिन शाम को दोनों डाक एस.डी.ओ.पी. के सामने रख दी थी।

25. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि तत्पश्चात मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु थाने से फोर्स व आवश्यक अनुसंधान सामग्री लेकर बेखेडा फंटे की तरफ प्राईवेट वाहन से रवाना होकर रास्ते में दो पंचान कमल व गोपाल को तलब कर साथ लिया था। बेखेडा फंटे के प्रतीक्षालय के पास में बायें तरफ बोलेरो गाड़ी आर.जे.27 यू.ए 4499 पलटी खाई हुई मिली जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ मिला तथा उक्त गाड़ी में काले रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुये थे, हमराह व पंचान की मदद से उक्त गाड़ी को सीधा करवाया तथा गाड़ी के अंदर फंसे हुये व्यक्ति को निकालकर उसका नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम दशरथ सिंह पिता भवरसिंह निवासी–बादपुर तथा अपने ड्राईवर विजयसिंह उर्फ टुजी का गाड़ी पलटी खाने के बाद उतर कर फरार होना बताया। थाने पर कंप्यूटर ऑपरेटर कमलेश दैतरिया के द्वारा यात्री प्रतीक्षालय में विद्युत कनेक्शन लेकर कंप्यूटर चालू किया तथा संदेही से पूंछने नाम पता पंचनामा प्रदर्श पी–31 तैयार किया तथा मौके से फरार विजयसिंह उर्फ टुजी का फरारी पंचनामा प्रदर्श पी–32 तैयार किया।

26. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उसके द्वारा दशरथ को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुये बताया कि उसे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि ''आपके व आपके साथी विजय उर्फ टुजी के 4 पहिये वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा है इसलिए उसे आपकी व आपके कब्जे के वाहन की तलाशी लेना है तलाशी संबंधी आपको यह संवैधानिक अधिकार है कि आप चाहो तो अपनी व अपने कब्जे के वाहन की तलाशी किसी निकटतम मजिस्ट्रेट या सक्षम राजपत्रित अधिकारी को दे सकते हो'' उक्त आशय के सूचना पत्र प्रदर्श पी–33 की एक प्रति दशरथ को दी थी, तत्पश्चात दशरथ ने पंचान व फोर्स के समक्ष उसे बताया कि वह अपने तलाशी संबंधी अधिकारों से अवगत हो चुका है और वह अपनी व अपने कब्जे के वाहन की तलाशी उस सहायक उपनिरीक्षक ओ.एस.ठाकुर को देना चाहता है जिसका पंचनामा सहमति प्रदर्श पी–34 तैयार किया था। तत्पश्चात अभियुक्त दशरथ के द्वारा अपनी तलाशी संबंधी लिखित सहमति देने पर पंचनामा लिखित सहमति प्रदर्श पी–35 तैयार किया था।

27. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि नाहरगढ़ में हाई सेकेण्डरी स्कूल है और वहां पर मजिस्ट्रेट रहता है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को किसी राजपत्रित अधिकारी के पास लेकर नहीं गया था और उसने राजपत्रित अधिकारी के सामने जाने से मना भी नहीं किया था।

28. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट

Contd. -----16

किया कि तत्पश्चात दशरथ ने उसके स्वयं की, पंचान, फोर्स, वाहन, अनुसंधान सामग्री की तलाशी बारी–बारी से ली थी तो कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी, जिसका पंचनामा देने तलाशी पंचान, फोर्स वाहन प्रदर्श पी–36 तैयार किया था। तत्पश्चात उसके द्वारा पंचान व फोर्स के समक्ष दशरथ के शरीर की तलाशी लेते कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी तथा दशरथ के कब्जे के वाहन की तलाशी लेते गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के कुल 10 बोरे भरे मिले जिनके अंदर कूटा हुआ मादक पदार्थ जैसा पदार्थ भरा हुआ था, जिसका पंचनामा तलाशी संदेही प्रदर्श पी–37 तैयार किया था।

29. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि तत्पश्चात दशरथ के कब्जे से बरामद 10 बोरों का मुंह खोलकर उसमें रखे पदार्थ को उसने स्वयं, पंचान, व फोर्स ने देखकर, सूंघकर, जला कर अपने–अपने अनुभव के आधार पर अफीम का डोडाचूरा होना पाया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–38 पहचान मादक पदार्थ तैयार किया था। उसने पंचान व फोर्स के समक्ष साथ ले गये इलेक्ट्रॉनिक तराजू का भौतिक सत्यापन किया था जिसके सही होना पाये जाने पर पंचनामा सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक तराजू प्रदर्श पी–39 तैयार किया था। तत्पश्चात उसके द्वारा पंचान व फोर्स की मदद से पृथक–पृथक 10 प्लास्टिक के कट्टे, जिसमें डोडाचूरा रखा था, तौल किया था तो कुल वजन 225 किलोग्राम होना पाये जाने पर उसका पंचनामा तौल मादक पदार्थ तैयार किया था तत्पश्चात उसके द्वारा पंचान व फोर्स की मदद से डोडाचूरा के कट्टों को एक प्लास्टिक की पाल पर खाली करवाकर अच्छे से समरस कर उसका पंचनामा करने समरस मादक पदार्थ प्रदर्श पी–41 तैयार किया था। तत्पश्चात उसके द्वारा समरस किये गये मादक पदार्थ में से रासायनिक परीक्षण हेतु 500–500 ग्राम के दो सैंपल प्लास्टिक की पारदर्शी पॉलिथिन में लेकर थैली का मुंह सुई सुतली से बांधकर दोनों थैलियों को पृथक–पृथक थैलियों में रखकर उनका मुंह सुई धागे से सिलकर थाना नाहरगढ़ की सील चपड़ी से सीलबंद कर आर्टिकल बी–1, बी–2 से चिन्हित किया था। मूलमाल को पूर्वानुसार उन्हीं बोरों में भरकर बोरों का मुंह सुई धागे से सिलकर थाना नाहरगढ़ की सील चपड़ी से सीलबंद कर आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 से चिन्हित किया था। आर्टिकल बी–1, बी–2 व आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 पर उसने स्वयं, पंचानों व अभियुक्त की हस्ताक्षरित चिटें चस्पा कर उसका पंचनामा निकालने सैंपल, करने सीलबंद प्रदर्श पी–42 तैयार किया था।

30. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उक्त आर्टिकलों को जिस सील से सीलबंद किया था उसका पंचनामा नमूना सील प्रदर्श पी–43 तैयार किया था, जिस पर सील नमूना अंकित है। अभियुक्त दशरथ

के कब्जे से आर्टिकल बी–1, बी–2 व आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 कुल वजन 225 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा, एक बोलेरो जीप सफेद रंग की क्रमांक आर.जे. 27 यू.ए 4499 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–44 तैयार किया था।

31. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि तत्पश्चात दशरथ को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर पंचनामा प्रदर्श पी–47 तैयार किया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–45 तैयार किया था। तत्पश्चात मौके की संपूर्ण कार्यवाही कर मय अभियुक्त जप्तशुदा आर्टिकल लेकर वापस थाना आकर थाने पर वापसी इंद्राज कर अपराध क्रमांक 354/17 पर धारा–8/15, 29 के तहत अभियुक्तगण दशरथ, विजय उर्फ टुजी, अभियुक्त उदयसिंह उर्फ शकील, अंबालाल गायरी, प्रहलादसिंह सिसौदिया के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–48 लेखबद्ध की थी।

32. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि जप्ती चिट आर्टिकल बी–1 में समय लिखा हुआ नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती चिट सीलबंद, चिटबंद नहीं है सिर्फ चिपकाई गई है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आर्टिकल बी–1 की जप्ती चिट पर दूसरी जप्ती चिट लगाई जा सकती है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आर्टिकल बी–2 की जप्ती चिट पर समय का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती चिट सीलबंद, चिटबंद नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती चिट सीलबंद, चिटबंद नहीं है सिर्फ चिपकाई गई है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आर्टिकल बी–2 की जप्ती चिट पर दूसरी जप्ती चिट लगाई जा सकती है।

33. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में बहुत ही स्पष्ट ढंग से अभियोजन कहानी से भिन्न यह प्रकट किया कि अभियुक्त दशरथसिंह मौके पर नहीं था। मौके की कार्यवाही करने के बाद दशरथ कब मिला था उसका समय वह नही बता सकता हैं। उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि संपूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात् दशरथसिंह मिला था। उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी से भिन्न यह भी प्रकट किया कि अभियुक्त कार्यवाही करने के कितनी देर बाद उसे मिला था उसका समय वह आज नहीं बता सकता है, परंतु अभियुक्त कार्यवाही के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी ने उक्त बिंदू पर पुनः यह प्रकट किया कि मौके की कार्यवाही करने के बाद अभियुक्त 2–3 घण्टे बाद मिला था, इसके बाद अभियुक्त की तलाशी ली थी।

34. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) की उक्त परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जप्तीकर्ता ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने मौके पर जो भी कार्यवाही की थी

Contd. -----18

वह अभियुक्त की अनुपस्थिति में की गई थी, न कि उसकी उपस्थिति में की गई थी और समस्त पंचनामों पर भी पश्चातवर्ती प्रकृम पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये थे और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को भी स्पष्टतः बल मिलता है कि पुलिस/अभियोजन ने घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया है और पश्चातवर्ती प्रकृम पर 2–3 घंटे बाद अभियुक्त को पकड़कर जबरदस्ती सभी पंचनामों पर हस्ताक्षर कराये गये हैं और उनका तर्क निराधार प्रतीत नहीं होता है, जिससे अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रश्नचिन्ह लगता है कि पुलिस ने असत्य कार्यवाही कर मौके पर फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं और जब स्वयं ही जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी उक्त तथ्यों को अपने कथन में प्रकट कर रहा हो तो फिर उसकी परिसाक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय न मानने का कोई भी कारण नहीं रह जाता है।

35. आखिर क्या कारण है कि उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) के द्वारा मौके पर जाकर असत्य रूप से पंचनामें अभियुक्त दशरथसिंह की अनुपस्थिति में उसकी उपस्थिति दर्ज करते हुए तैयार किये गये हैं? जब जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ही असत्य दस्तावेजों की रचना अपराध को प्रमाणित करने के लिए करने लगे, तब उसकी परिसाक्ष्य पर पूर्णतः अविश्वास करना खतरनाक होगा, यद्यपि सामान्य सिद्धांत यह भी है कि पुलिस आफिसियल्स की परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है।

36. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि मौके पर वह 4–5 लोग गये थे परंतु कौन–कौन गया था वह आज नहीं बता सकता। गाड़ी पल्टी हुई थी। मौके की कार्यवाही किस समय कर दी थी और कितनी देर बाद बंद कर दी थी आज उसे याद नहीं है। मौके पर कुल कितने पंचनामें बनाये थे, यह वह आज नहीं बता सकता व कौन–सा पंचनामा किस समय व किस दिनांक को बनाया था, वह आज नहीं बता सकता, जबकि उक्त साक्षी उक्त संबंध में मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकट कर रहा है, ऐसे में उसे प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त तथ्यों को उससे प्रश्न किये जाने पर पुनः प्रकट करना चाहिए था जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया है।

37. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि वह मौके की कार्यवाही के समय लैपटॉप लेकर गया था। उसने लैपटॉप का कनेक्शन पडोस से लिया था, परंतु कनेक्शन किससे लिया था आज उसे याद नहीं है। उसने मौके पर कनेक्शन लेने का पंचनामा बनाया था, जबकि उक्त साक्षी उक्त संबंध में यह भी स्वीकार करता है कि मौके पर लैपटॉप का कनेक्शन लेने का पंचनामा प्रकरण में पेश नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट

Contd. -----19

किया कि मौके के सभी पंचनामें उसने प्रिंटर से अलग अलग प्रिंट करवाये थे, परंतु किस जवान से करवाये थे आज उसे याद नहीं है।

38. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसने तौल की कार्यवाही कितने बजे प्रारंभ की थी, उसका समय आज उसे याद नहीं है, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि पंचनामें में समय का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि तराजू कौन लेकर आया था उसे ध्यान नहीं है। वजन किसने किया था, उसे याद नहीं है। तराजू पलडे वाली थी या इलेक्ट्रॉनिक, वह नहीं बता सकता, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि उसका डायरी में उल्लेख है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि वह नहीं बता सकता कि पहला बोरा कितने वजन का था और कुल कितने बोरे थे। बोरों का कुल वजन वह नहीं बता सकता हैं। बोरे का रंग भी वह नहीं बता सकता हैं। तौल की कार्यवाही किसने की थी वह नहीं बता सकता और बांट किस प्रकार के थे, वह यह भी नहीं बता सकता। घटनास्थल पर कुल कितने बोरे जप्त किये थे आज वह नहीं बता सकता हैं। उसने कुल कितना माल जप्त किया था आज वह नहीं बता सकता।

39. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) घटना से संबंधित सुसंगत तथ्यों को याद न होना लगातार प्रकट कर रहा है, किंतु क्यों याद नहीं है, यह प्रकट नहीं कर रहा है, क्या स्मृति भ्रम के कारण तथ्य याद नहीं हैं या वह वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। जबकि उक्त साक्षी जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी है, जिसकी जबावदारी घटना से संबंधित समस्त सुसंगत तथ्यों के बारे में न्यायालय में तथ्य प्रकट करने की रहती है। उक्त साक्षी को उक्त सुसंगत तथ्यों के संबंध में प्रश्न किये जाने पर उनका उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, वह अपने कर्तव्य से मात्र इस कारण बच नहीं सकता है कि उसे तथ्यों का स्मरण नहीं है, क्योंकि उसे स्मृति ताजा करने का विधिक अधिकार है और वह उक्त विधिक अधिकार का प्रयोग करके अपनी स्मृति केस डायरी को देखकर कर सकता था और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि उक्त साक्षी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को प्रकट करना नहीं चाह रहा है और उनका उक्त तर्क निराधार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में लगभग सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकट किया है। आखिर क्या कारण है कि उक्त साक्षी ने स्मृति ताजा करने के अपने विधिक अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? जबकि उसके पास उक्त अधिकार उपलब्ध था और जिससे भी बचाव पक्ष के इस तर्क को स्पष्ट बल मिलता है कि अभियोजन के द्वारा घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

40. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि वह किस वाहन से घटनास्थल पहुंचा था,

आज उसे याद नहीं है, उनका वाहन कौन चला रहा था आज उसे याद नहीं है। पंच कौन लेकर आया था, आज वह नहीं बता सकता हैं। पंच घटनास्थल पर ही तलब करके लेकर आया था। कार्यवाही करने के बाद मौके से गाड़ी थाने पर लेकर आये थे। वह आज नहीं बता सकता कि कौन गाड़ी को चलाकर थाने पर लेकर आया था। अभियुक्त को उन्होंने अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया था सिर्फ ईलाज करवाया था।

41. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि घटनास्थल आम रोड है और 24 घण्टों चालू रहता है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर आने–जाने वालो को गवाह नहीं बनाया है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि घटनास्थल से नाहरगढ़ की दूरी 8–10 किलोमीटर होगी। उनके थाने से घटनास्थल 8–10 किलोमीटर दूर है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जिस समय वह घटनास्थल से कार्यवाही करके वापस आया था तो उस समय थाने पर पूरा स्टाफ उसे मिल गया था।

42. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि वह थाने पर कितने बजे वापस आ गया था, समय उसे याद नहीं है। घटनास्थल पर जिस वाहन से गया था, वह वाहन सरकारी या प्राईवेट था, वह नहीं बता सकता हैं। वह घटना दिनांक को थाने पर कितने बजे पहुंच गया था, समय नहीं बता सकता हैं। रोजनामचे सान्हा क्रमांक 17, 51 लगायत 61 किसके द्वारा व किस समय लिखे गये हैं वह नहीं बता सकता हैं। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने कौन सी गाड़ी जप्त की थी उसका नम्बर और वह गाड़ी कौन–सी थी, वह वह नहीं बता सकता हैं, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि बोलेरो वाहन था।

43. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि मौके की कार्यवाही करने में कितना समय लगा था, आज उसे याद नहीं है, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि घ ण्टा–डेढ घण्टा लगा होगा। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को मुखबिर सूचना से अवगत नहीं कराया था। माल को उन्होंने तौल करने के बाद समरस किया था। समरस करने में कितना समय लगा था समय आज उसे याद नहीं है। उसने दो सैंपल निकाले थे। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक बोरे से अलग अलग सैंपल नहीं निकाले थे, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि समरस करके निकाले थे। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि मालखाने में माल कब जमा करवाया था उसका समय आज उसे याद नहीं है। उसने बोलेरो की चाबी मालखाने में जमा करा दी थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–18 सी में चाबी जमा कराने का उल्लेख नहीं है। उक्त

साक्षी को उक्त सुसंगत तथ्यों के संबंध में प्रश्न किये जाने पर उनका उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, क्योंकि वह जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी है, वह अपने कर्तव्य से मात्र इस कारण बच नहीं सकता है कि उसे तथ्यों को स्मरण नहीं है।

44. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि मौके की कार्यवाही करने के बाद उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उक्त साक्षी के द्वारा थाने पर आकर एच.सी.एम. 130 कन्हैयालाल को मूल माल ए–1 लगायत ए–10 एवं सेंपल बी–1 लगायत बी–2 मालखाना में रखने के लिए सौंपे थे और जिस पर कन्हैयालाल के द्वारा उक्त साक्षी के समक्ष पुनः सीलबंद की कार्यवाही करते हुए पंचनामा पुनः सीलबंद प्रदर्श पी.17 तैयार किया गया था, इसी तरह उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी से भिन्न यह भी स्वीकार किया कि उसने थाने पर आने के बाद एफआईआर लिखी गई थी उसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं की थी और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि अभियोजन के द्वारा घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

45. साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में मुख्य परीक्षण में पुनः सीलबंद की कार्यवाही संपादित कराये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं और न ही उक्त संबंध में तैयार किये गये पुनः सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी.17 के संबंध में कोई तथ्य प्रकट किये हैं। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान यह प्रकट किया कि नमूना सील की कार्यवाही उसने उसी दिन कर ली थी, परंतु किस समय की थी समय आज उसे याद नहीं है। थाने की सील से सीलबंद किया था। सील की क्या ईबारत थी वह आज नहीं बता सकता। वह आज नहीं बता सकता कि सील की ईबारत अंग्रेजी में थी या हिंदी मे थी। उनके थाने का मालखाना कितना लंबा–चौडा है वह नहीं बता सकता और उसमें कितने कमरे हैं वह यह भी नहीं बता सकता हैं। उक्त साक्षी को उक्त सुसंगत तथ्यों के संबंध में प्रश्न किये जाने पर उनका उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, क्योंकि वह जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी है, वह अपने कर्तव्य से मात्र इस कारण बच नहीं सकता है कि उसे तथ्यों को स्मरण नहीं है।

46. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि वह सील उसने किसी को सुरक्षित रखने के लिये दी थी और न ही उसने उसे नष्ट किया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि थाने पर जो सील रहती है उसका अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं।

47. कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 02.11.2017 को प्रधान आरक्षक एच.सी.एम के पद पर पुलिस थाना

Contd. -----22

नाहरगढ में कार्यरत था, उक्त दिनांक को अभियुक्त दशरथ सिंह पिता भंवरसिंह से थाने के अपराध क्रमांक 354/2017 धारा–8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट में जप्तशुदा मूल माल ए–1 लगायत ए–10 सीलबंद बोरे एवं सैंपल आर्टिकल बी–1 व बी–2 कुल वजन 226 किलोग्राम तथा एक वाहन क्रमांक आर.जे.27–यू.ए.–4499, सील नमुना जप्तीकर्ता ओ.एस.ठाकुर सहायक उपनिरीक्षक ने लाकर दिया था, जो उसके द्वारा आर्टिकल को पुनः सीलबंद कर उसका पंचनामा पुनःसीलबंद प्रदर्श पी–17 तैयार किया था तथा उसके द्वारा उक्त आर्टिकलों को मालखाने में सुरक्षार्थ रखा था, जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में किया था।

48. कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दिनांक 13.01.2018 को जांचशुदा आर्टिकल बी–1 आरक्षक 406 लाखनसिंह के द्वारा लाकर देने पर सुरक्षार्थ मालखाने में रखा था, जिसका इंद्राज मालखाने रजिस्टर में किया था। दिनांक 28.07.2018 को आर्टिकल बी–1, बी–2 व बी–3 को न्यायालय के मालखाने में जमा किया था। वह आज थाने का जप्तीमाल रजिस्टर साथ लेकर आया है जिसका पृष्ठ क्रमांक 204/दिनांकित 02.11.2017 प्रदर्श पी–18 पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर होकर पदमुद्रा अंकित है, जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–18 सी पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व पदमुद्रा अंकित है।

49. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसने माल पौने नौ बजे मालखाने में जमा किया था। उसने दस बोरे और सैंपल बी–1, बी–2 जमा करने के साथ–साथ जप्ती का पैसा भी जमा किया था तथा इसके अलावा कोई सामान मालखाने में जमा नहीं किया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती का पैसा जमा करने का इंद्राज मालखाने रजिस्टर प्रदर्श पी–18 में उल्लेख नहीं है और प्रदर्श पी–18 में गाड़ी की चाबी जमा कराने का उल्लेख नहीं है, प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–44 के परिशीलन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अभियुक्त से कोई भी राशि जप्त नहीं की गई थी, फिर भी उक्त साक्षी जप्ती का पैसा मालखाना में जमा किये जाने का तथ्य प्रकट कर रहा है और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि उक्त साक्षी घटना को अभियोजन कहानी के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

50. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसने जो दस बोरे जमा कराये थे वह कितने कितने वजन के थे आज उसे नहीं मालूम। उसने बोरों को तौला नहीं था। उसने थाने पर साढे आठ बजे सीलबंद किया था उस समय थाने पर दो जवान और जप्तीकर्ता अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, जबकि उक्त पंचनामा प्रदर्श पी. 17 पर उक्त साक्षी के अलावा जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी एवं दो जवानों के हस्ताक्षर भी

Contd. -----23

हैं और उक्त कार्यवाही उक्त साक्षी के द्वारा 08.45 बजे के लगभग की गई थी न कि 08.30 बजे की गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया कि उस समय पब्लिक का कोई आदमी मौजूद नहीं था। बोरों पर थाने की सील लगी हुई थी। सील पर ईबारत थाना नाहरगढ जिला मंदसौर की थी। पहले तीन–तीन सीलें लगी हुई थी और दो–दो सीलें उसने लगाई थी। सैंपल पर भी तीन–तीन सीलें लगी हुई थी।

51. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि सैंपल व मूल माल पर मार्कर से लिखा हुआ था। अपराध क्रमांक व धारा बाद में बोरों पर उसके द्वारा पुनःसीलबंद करते समय लिखी गई थी।

52. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उनका मालखाना 10 x 15 का बना हुआ है। सारा माल मालखाने में आ गया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–18 का मालखाना रजिस्टर प्रमाणित नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–18 पर थाने का नाम नहीं लिखा हुआ है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि माल अभी भी थाने पर रखा हुआ है।

53. मनभावन (अ.सा.06) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 04.11.17 को थाना नाहरगढ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे थाने से प्रधान आरक्षक मोहर्रिर कन्हैयालाल ने अपराध क्रमांक 354/17 धारा–8/15 में जप्तशुदा आर्टिकल बी–1 नमूना एफ.एस.एल राउ इंदौर में जमा करने हेतु मय ड्राफ्ट प्रदर्श पी–21 व सील नमूना आदि के सीलबंद हालत में दिया गया था, जो उसने ले जाकर एफ.एस.एल राउ इंदौर जमा किया था, जिसकी रसीद प्रदर्श पी–22 उसे प्राप्त हुई थी, जो वापस लाकर उसने थाने पर दी थी।

54. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी मनभावन (अ.सा.06) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि डाक उसे शाम को मिली थी, एक पैकेट मय ड्राफ्ट मिला। सील नमुने पर तीन सीलें लगी हुई थी, थाने से वह डाक लेकर सुबह निकला था। उसे बस वारंट दिया था। वह 01 बजे के करीब इंदौर झुमरघाट पहुंच गया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने इंदौर में किसी थाने में आमद नहीं दी थी, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि आवश्यकता नहीं पडती। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि वह उसी दिन पहुंच गया था। उसने डाक एफ.एस.एल. इंदौर में कितने बजे जमा किया, वह उसे याद नहीं है, उक्त साक्षी ने स्वतः में यह प्रकट किया कि ऑफिस समय में जमा किया। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि उसने 06.11.2017 को डाक जमा करा दी थी। बस वारंट उसने थाने पर जमा करा दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी से भिन्न यह प्रकट किया कि दिनांक 07.

Contd. -----24

11.2017 को थाने पर आमद करा दिया था और उसने सुबह 10–11 बजे रसीद एच.सी.एम. को दी थी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 07.11.2017 को समय रात्रि 20.19 बजे अपनी वापसी दर्ज कराई थी और तत्पश्चात् एफ.एस.एल. रसीद एच.सी.एम. को दी थी और जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि उक्त साक्षी घटना को अभियोजन कहानी के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

55. कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दिनांक 04.11.2017 को आरक्षक क्रमांक 241 मन भावन को आर्टिकल बी–1 मय ड्राफ्ट नमूना के रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. राउ इंदौर जमा करने हेतु दिया था, जिसका इंद्राज रजिस्टर में किया था तथा जिसकी प्राप्ति रसीद लाकर उसे दी थी।

56. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसने माल जमा करने के बाद आर्टिकल बी–1 आरक्षक मन भावन को एफ.एस.एल. राउ इंदौर जमा कराने हेतु निकाला था। एफ.एस.एल. ड्राफ्ट के साथ आर्टिकल बी–1 व नमूना सील आरक्षक को दिया था, इसके अलावा उसने आरक्षक को कुछ नहीं दिया था। उसने आरक्षक को आर्टिकल शाम को दिया था।

57. लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उसके द्वारा उक्त अपराध में जप्त आर्टिकल बी–1 को एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजने बाबत पुलिस अधीक्षक के मार्फत ड्राफ्ट प्रदर्श पी–21, तैयार करवाकर आरक्षक मनभावन को ड्राफ्ट, आर्टिकल बी–1, सील नमूना देकर एफ.एस.एल. रवाना किया था, जिसकी जमा रसीद प्रदर्श पी–22 व जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 पर परीक्षण परिणाम का उल्लेख है।

58. कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दिनांक 14.04.2018 को उक्त अपराध में जप्तशुदा मूल माल धारा 52ए की कार्यवाही हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत किया था जिनके द्वारा धारा 52ए की कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही पश्चात् आर्टिकल बी–3 व बी–4 व मूलमाल आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 मालखाने में जमा किया था, जिसका इंद्राज मालखाने रजिस्टर में किया था।

59. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी कन्हैयालाल खेरवा (अ.सा.04) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि तत्पश्चात् धारा 52ए की कार्यवाही के लिये माल निकाला था। उसने धारा 52ए की कार्यवाही के लिये कौन–सी तारीख व किस समय माल निकाला था आज याद नहीं है। धारा 52ए की कार्यवाही की रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज की थी। धारा 52ए की कार्यवाही में 3 घण्टे का समय लगा था। धारा 52ए की कार्यवाही तहसीलदार ने की थी। धारा 52ए की कार्यवाही के समय तहसीलदार, टी.आई. व औंकारसिंह ठाकुर उपस्थित थे।

Contd. -----25

60. समरथ सीनम (अ.सा.08) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि थाना अफजलपुर से उसका स्थानांतरण जिला नीमच हुआ था तब प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संजीव परिहार को सुपुर्द किया था जिनके द्वारा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया गया था तथा अनुसंधान के दौरान संजीव परिहार के द्वारा तहसीलदार मंदसौर को धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत सैंपलिंग हेतु प्रदर्श पी–1 का पत्र लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर संजीव परिहार के हस्ताक्षर हैं, उन्होंने उसके साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता हैं। धारा 52ए की कार्यवाही नायब तहसीलदार के द्वारा उपनिरीक्षक संजीव परिहार के समक्ष की गई थी। नायब तहसीलदार कार्यालय मंदसौर के द्वारा तैयार की गई आदेश पत्रिका प्रदर्श पी–3 के बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक संजीव परिहार के हस्ताक्षर हैं। अनुक्रमणिका क्रमशः 1 व 2 प्रदर्श पी–4 पर संजीव परिहार के हस्ताक्षर हैं।

61. आशीष राठौर (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 17.4.18 को मंदसौर तहसील में कार्यपालिक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना नाहरगढ़ के अपराध क्रमांक 354/17 धारा 8, 15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडाचूरा के संबंध में धारा 52ए की कार्यवाही हेतु पत्र प्रदर्श पी–1 उसके कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के पालन में उसके द्वारा दिनांक 17.4.18 की तारीख नियत कर आदेश पत्रिका प्रदर्श पी–2 लेख की थी।

62. आशीष राठौर (अ.सा.01) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि नियत की गई दिनांक 17.4.18 को वह पुलिस थाना नाहरगढ़ पहुंचा था, जहां पर उपनिरीक्षक संदीपसिंह परिहार, फोटोग्राफर आदि उपस्थित थे। थाने पर अपराध क्रमांक 354/17 से संबंधित जप्तशुदा माल आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 तक प्लास्टिक के बोरे में सीलबंद आर्टिकल उसके समक्ष पेश हुआ था जो थाना नाहरगढ़ की सील से सीलबंद था। आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 का मुंह खोला गया जिसके अंदर छिलकेनुमा भूरे रंग का पदार्थ निकला था। सभी बोरों में से थोड़ा थोड़ा छिलका लेकर 500–500 ग्राम के दो सैम्पल तैयार करने के लिये तोला गया एवं पारदर्शी थैलियों में रखकर मुंह बांधकर कपड़े की थैली में रखकर उसका मुंह सुई धागे से सिलकर कार्यपालिक दण्डाधिकारी मंदसौर की सील से सीलबंद कर सैम्पल को आर्टिकल बी–3 एवं बी–4 से चिन्हित किया था। आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 के शेष पदार्थ को पुनः प्लास्टिक के कट्टों में भरकर सुतली से सिलकर कार्यपालिक दण्डाधिकारी मंदसौर की सील से सीलबंद किया था।

63. आशीष राठौर (अ.सा.01) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उसके समक्ष तालिका प्रदर्श पी–4 प्रस्तुत की गई थी, जिसका मिलान कर

Contd. -----26

उसके द्वारा सत्यापन किया गया। मूल आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 तथा निकाले गए सैम्पल बी–3 व बी–4 उपनिरीक्षक को सुपुर्द किये थे। कार्यवाही की आदेश पत्रिका प्रदर्श पी–3 लेख की थी। कार्यवाही के दौरान फोटोग्राफ प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–14 तैयार करवाए थे, जो उसके द्वारा सत्यापित किये गये थे।

64. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी आशीष राठौर (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि उसकी उक्त कार्यवाही के दौरान पब्लिक का कोई आदमी नहीं था, उक्त साक्षी ने स्वतः में प्रकट किया कि फोटोग्राफर को बुलाया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बी 3 और बी 4 पर फोटोग्राफर के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि प्लास्टिक की थैली को सुतली से बंद किया है उक्त साक्षी ने स्वतः में प्रकट किया कि प्लास्टिक की थैली को सील चपड़ी से सीलबंद नहीं किया है उसके उपर लगाए गए कपड़े को सील चपड़ी से सीलबंद किया गया है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि वह शाम के समय थाने पहुंचा था लेकिन निश्चित समय याद नहीं है। उसने थाना पहुंचने के 15–20 मिनट बाद कार्यवाही चालू कर दी थी। पूरी कार्यवाही में लगभग डेढ़ से दो घंटे लगे थे। बोरे प्लास्टिक के काले रंग के थे। मौके की लिखापढ़ी उसके अधीनस्थ लिपिक ने की थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने मौके की लिखापढ़ी हाथ से रफ की थी वह आज साथ लेकर नहीं आया है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त पत्र आज साथ नहीं लाया है, उक्त साक्षी ने स्वतः में प्रकट किया कि उक्त पत्र को कार्यालय में आने पर अभिलेख पर लिया था।

65. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी आशीष राठौर (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया कि फोटो में अपराध क्रमांक का उल्लेख तथा थाने का नाम भी उल्लेखित नहीं है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि प्रदर्श पी–5 को छोड़कर अन्य फोटो में थाने का नाम नहीं आया है। फोटोग्राफ में अपराध क्रमांक व फोटोग्राफर का नाम व हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–4 की प्रविष्टि करके उसे थाना नाहरगढ़ द्वारा दी गई थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

66. अब यदि आशीष राठौर (अ.सा.01), कन्हैयालाल (अ.सा.04), समरथ सीनम (अ.सा.08) की परिसाक्ष्य एवं प्रदर्श पी–01 लगायत पी–04 के दस्तावेज तथा प्रदर्श पी.05 लगायत प्रदर्श पी.14 के फोटोग्राफ एवं आर्टिकल बी–3 व बी–4 को देखें तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने थाने द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसरण में थाना नाहरगढ़ में धारा 52–ए एन.डी.पी.एस.एक्ट की कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने के बिन्दु पर स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख पर उपलबध प्रदर्श पी–01 लगायत पी–04 के दस्तावेज तथा प्रदर्श पी.05 लगायत प्रदर्श पी.14 के फोटोग्राफ से भी पूर्णतः समर्थित हैं और जिनका

समर्थन मालखाना रजिस्टर की सुसंगत प्रविष्टि प्रदर्श पी–18 से भी होता है और समस्त सुसंगत दस्तावेजों प्रदर्श पी–01 लगायत पी–04 तथा प्रदर्श पी.05 लगायत प्रदर्श पी.14 के फोटोग्राफ पर स्वयं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही करते समय हस्ताक्षर किए गए थे। धारा 52–क (4) में यह विधिक प्रावधान किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक विचारण न्यायालय उपधारा–2 के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, फोटोचित्रों एवं नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य मानेगा। ऐसे में उक्त विवेचना के आलोक में धारा 52ए एन.डी.पी.एस.एक्ट की कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा कराए जाने का तथ्य न्यायालय के मत में युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होता है।

67. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–49 तैयार किया था।

68. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–49 उसकी निशादेही से बनाया गया था किंतु नक्शा मौका किस दिनांक को व किस समय बनाया गया था आज उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–49 में समय का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि नक्शा मौके में उनकी गाड़ी कहां खडी की गई थी, उसका भी उल्लेख नहीं है।

69. ओकारसिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि उसके द्वारा दशरथ से मौके पर अपराध के संबंध में पूंछताछ के आधार पर पूंछताछ पंचनामा प्रदर्श पी–46 तैयार किया था, जिसमें दशरथ ने बताया था कि अंबालाल गायरी निवासी–देवरी, उदयसिंह उर्फ शकील निवासी–तुरकिया द्वारा बोलेरो में डोडाचूरा भरवाया था तथा जय अंबे ढाबा से सुसनेर के पास प्रहलादसिंह को देने बताया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त से पूंछताछ की गई तब अभियुक्त उनकी कस्टडी में था और जैसा वह कह रहे थे वैसा वह कार्य कर रहा था।

70. लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह दिनांक 03.11.2017 को आरक्षी केन्द्र नाहरगढ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 354/2017 धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध के अनुसंधान के दौरान गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दशरथ से अपराध के संबंध में पूंछताछ के आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–19 तैयार किया गया था।

71. लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया

Contd. -----28

कि दशरथ ने यह प्रकट किया था कि अम्बालाल गायरी अपनी बोलेरो गाड़ी में विजय सिंह उर्फ टूजी निवासी चिल्लोद पिपल्या को लेकर उसके साथ घर आया था तथा उसे लेकर उदयसिंह उर्फ शकील के कुएं पर गये थे, जहां उदयसिंह उर्फ शकील मिला था, जिसने 10 बोरे डोडाचूरा अम्बालाल गायरी के पिकअप में भरवाया था, जो करीब 02 क्विंटल था। अम्बालाल ने उक्त डोडाचूरा प्रहलादसिंह को देने के लिए कहा था, बोलेरो वाहन विजय उर्फ टूजी चला रहा था तथा उसकी गाड़ी के आगे अम्बालाल, टूजी पायलेटिग कर रहे थे, विजय मौके से फरार हो गया था और पुलिस ने उसे पकड लिया था।

72. लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दशरथ की निशादेही से तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी–20 तैयार किया था।

73. लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि दशरथ की निशादेही से उसके द्वारा तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी–24 लगायत पी–26 तैयार किये गये थे, उसके द्वारा घटना स्थल का ट्रेस नक्शा बनाने बाबत् तहसीलदार को पत्र जारी किया था, जिसकी प्राप्ति प्रदर्श पी–27 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के पालन में प्राप्त नजरी नक्शा प्रदर्श पी–28 है।

74. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया कि डायरी उसे किस दिनांक को व किस समय मिली थी, उसे आज याद नहीं है। प्रदर्श पी–19 का मेमो अभियुक्त दशरथ का लिया था, तब वह उसकी कस्टडी में होकर स्वतंत्र नहीं था।

75. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी लाखनसिंह (अ.सा.05) ने अपने कथन में यह प्रकट किया कि प्रदर्श पी–20 का पंचनामा दिनांक 04.11.2017 को बनाया था, समय उसे याद नहीं है। पंचनामें प्रदर्श पी–24 लगायत पी–26 बनाने की दिनांक उसे याद नहीं है।

76. समरथ सीनम (अ.सा.08) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट किया कि वह वर्ष 2018 में आरक्षी केंद्र अफजलपुर में उप निरीक्षक/थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। थाना नाहरगढ के अपराध क्रमांक 354/17, धारा–8/15, 29 एन. डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण का अनुसंधान उसे थाना प्रभारी नई आबादी पी.एन.शर्मा से प्राप्त हुआ था। पी.एन.शर्मा के द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अभियुक्त अंबालाल तथा उदयलाल गायरी उर्फ उदयराम गायरी निवासी–ग्राम देवरी की जिला जेल मंदसौर में फॉर्मल गिरफ्तारी की गई थी, अभियुक्त अंबालाल का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–62 है। उसने पी.एन.शर्मा के साथ कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है।

77. समरथ सीनम (अ.सा.08) ने अपने अग्रेतर न्यायालयीन कथन में प्रकट

किया कि अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक संजीव परिहार के द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आर.जे.27–यू.ए.–4499 के स्वामी की जानकारी के संबंध में आर.टी.ओ. उदयपुर को पत्र प्रदर्श पी–63 लेख किया था। पत्र के पालन में आर.टी.ओ. उदयपुर से प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी–64 में वाहन स्वामी सत्तार पिता मांगू खां निवासी–बेरा जौधपुर के नाम से पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उपनिरीक्षक संजीव परिहार उसके साथ पदस्थ रहें, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर अच्छी तरह से पहचानता हैं। संजीव परिहार की थाना नई आबादी मंदसौर क्षेत्र में मृत्यु हो चुकी है।

78. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण दशरथसिंह, विजयसिंह, अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद की अपराध में आपस में संलिप्तता के संबंध में जो अन्य साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, वस्तुतः वे सह–अभियुक्त दशरथसिंह के मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 के रूप में हैं जो कि क्रमशः विवेचक लाखनसिंह (अ.सा.05) एवं जप्तीकर्ता ऑंकारसिंह (अ.सा.07) के द्वारा लेखबद्ध किये गये थे।

79. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 को देखें तो वह वस्तुतः संबंधित अभियुक्त के संस्वीकृति कथन अथवा धारा 27 के मेमोरेंडम की श्रेणी के दर्शित होते हैं और उक्त स्थिति में उक्त दस्तावेजों की साक्ष्यिक मूल्य को उक्त श्रेणी के दस्तावेजों के संबंध में प्रतिपादित विधि के आलोक में ही करना होगा, इस हेतु यदि न्याय दृष्टांत *तूफानसिंह वि. तमिलनाडू राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 152/2013, निर्णय दिनांक 29.10.2020* में प्रतिपादित विधि को देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः अभियुक्त के संस्वीकृति कथन को धारा 67 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आलोक में अग्राह्य बताया है साथ ही न्याय दृष्टांत *सुरेश कुमार खन्ना वि. इंटेलीजेंस ऑफीसर डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलीजेंस क्रिमिनल अपील नंबर 949/2018 निर्णय दिनांकित 31.07.2018* में सहअभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अन्य सहअभियुक्त की दोषसिद्धी को अभिलिखित न कर सकने की विधि भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है और उक्त स्थिति में न्याय दृष्टांत तूफान सिंह (उपरोक्त) एवं सुरेश कुमार खन्ना (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि के आलोक में उक्त दस्तावेजों को न सिर्फ संबंधित अभियुक्त दशरथसिंह के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अपितु उनके आधार पर अन्य सह–अभियुक्तगण विजयसिंह, अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील, प्रहलाद के विरूद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष अवधारित नहीं किया जा सकता है।

80. इसके अतिरिक्त यदि अभिलेख पर उपलब्ध अभियुक्त दशरथ के मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 को सूक्ष्मता के साथ देखें तो वस्तुतः उक्त मेमोरेण्डम एवं पूछताछ पंचनामा के आधार पर अनुसंधान के दौरान

Contd. -----30

पुलिस द्वारा कोई सारभूत संपत्ति की बरामदगी नहीं की गई है, ऐसे में अभिलेख पर उपलब्ध अभियुक्त के मेमोरेंडम व पूछताछ पंचनामा को न तो संबंधित अभियुक्त दशरथसिंह के विरुद्ध और न ही सह अभियुक्त विजयसिंह, अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील, प्रहलाद के विरुद्ध धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की विधिक बाधा एवं न्याय दृष्टांत *प्रदीप विरुद्ध म.प्र. राज्य सी.आर.आरक्षक नंबर 1789/20 निर्णय दिनांक 14.08.2020, पप्पू विरुद्ध राज्य 2000 (2) जे.एल.जे. 391* में प्रतिपादित इस विधि के आलोक में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि एक सहअभियुक्त की सूचना के मेमो में किसी अन्य सहअभियुक्त का नाम का उल्लेख आने पर उस दूसरे सहअभियुक्त को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही न्याय दृष्टांत सुरेश कुमार खन्ना (उपरोक्त) के आलोक में उनके तथ्यों को प्रकरण की परिस्थिति में अन्य सह अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का आधार ही बनाया जा सकता है। अतः मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 से अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

81. *न्याय दृष्टांत रामसरण चतुर्वेदी विरुद्ध म.प्र. राज्य ए.आई.आर. 2020 एस.सी. 4002* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 120बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का मुख्य तत्व कोई अपराध कारित करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में किया गया एक करार होता है, ऐसे करार को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना चाहिए। षड्यंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार का शारीरिक/भौतिक प्रदर्शन आवश्यक होता है, केवल अवैध कृत्य की भागीदार में विचारों के संचरण का साक्ष्य पर्याप्त नहीं होता है। उक्त संबंध में अन्य *न्याय दृष्टांत केरल राज्य विरुद्ध पी. सुगाथन व एक अन्य (2000) 8 एस.सी.सी. 203 एवं राज्य विरुद्ध नवजोत संधु (2005)7 एस.सी.सी. 156* अवलोकनीय है।

82. अभियुक्त दशरथसिंह के मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 के रूप में हैं जो कि क्रमशः विवेचक लाखनसिंह (अ.सा.05) एवं जप्तीकर्ता औंकारसिंह (अ.सा.07) के द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, किंतु मात्र उक्त मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा के आधार पर उनके बीच मादक पदार्थों के क्रय–विक्रय के आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होना मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए अभियुक्तगण के बीच मादक पदार्थों के क्रय–विक्रय के अपराध को करने का करार का साबित किया जाना आवश्यक होता है जो कि अभियोजन के द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। इसी तरह अन्य सहअभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद के द्वारा अन्य सहअभियुक्त दशरथसिंह एवं विजयसिंह का दुष्प्रेरण किया जाना मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए अन्य सहअभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद की ओर से उकसाना, सहायता एवं षड्यंत्र के संबंध में साक्ष्य का

Contd. -----31

अभाव है। अभिलेख पर अभियोजन की ओर से इस संबंध में कोई भी सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि सहअभियुक्तगण उदयसिंह एवं अंबालाल के द्वारा प्रश्नगत वाहन आर. जे–27–यू.ए.–4499 की पायलेटिंग की जा रही थी और उक्त जप्तशुदा मादक पदार्थ का परिवहन सहअभियुक्त प्रहलाद को देने के लिए किया जा रहा था, अभियोजन के द्वारा इस संबंध में भी कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि सहअभियुक्त विजयसिंह उर्फ टूजी घटनास्थल पर प्रश्नगत वाहन के पलटने पर मौके से भाग गया थाा। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह एवं अन्य अभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद के विरूद्ध अभिलेख पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

83. यद्यपि अभियुक्त दशरथसिंह के मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–19 व पी–46 क्रमशः विवेचक लाखनसिंह (अ.सा.05) एवं जप्तीकर्ता औंकारसिंह (अ.सा.07) के द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, किंतु मात्र मेमोरेण्डम कथन एवं पूछताछ पंचनामा के आधार पर अन्य अभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद के द्वारा अन्य सह अभियुक्त दशरथसिंह, विजयसिंह का दुष्प्रेरण किया जाना मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद की ओर से उकसाना, सहायता एवं षड्यंत्र के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दशरथसिंह, विजयसिंह, अम्बालाल, उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद के विरूद्ध उसे दोषसिद्ध करने हेतु मेमोरंडम एवं पूंछताछ पंचनामा की परिसाक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

84. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त प्रकरण में धारा 42, 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का पालन होना संदेहजनक प्रतीत होता है, और जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ओ.एस. ठाकुर (अ.सा.07) ने तात्विक एवं सुसंगत तथ्यों पर अभियोजन कहानी से भिन्न कथन करते हुए विरोधाभाषी तथ्य प्रकट किये हैं जो प्रकरण की जड़ तक जाकर समूल प्रकरण को नष्ट करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ओ.एस. ठाकुर (अ.सा.07) के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्न किये जाने पर सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकट न करते हुए याद न होना प्रकट करते हुए अपनी जबावदेही से बचने का पूर्ण प्रयास किया गया है, जो बचाव पक्ष के इस तर्क को स्पष्ट बल प्रदान करता है कि अभियोजन के द्वारा मामले को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अभियोजन कहानी पर विश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता है और अभियोजन कहानी पूर्णतया संदेहजनक एवं अविश्वसनीय प्रतीत होती है।

85. अभियुक्तगण की ओर से न्याय दृष्टांत 2013 क्रिमिलन लॉ जनरल, 2339 (उच्चतम न्यायालय) सुनील कुंडु व अन्य विरूद्ध झारखंड राज्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन को अपने मामले को संदेह के

परे साबित करना आवश्यक होता है। वह बचाव पक्ष की कमजोरियों का लाभ नहीं उठा सकता है। अभियुक्तगण की ओर से एक अन्य न्याय दृष्टांत 2022 (2) एमपीडब्ल्यूएन छोटेलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है अभियोजन को अपने मामले को संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए एवं आपराधिक न्याय प्रशासन का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों, एक अभियुक्त का दोष इंगित करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषित इंगित करता हो, तो जो दृष्टिकोण अभियुक्त के पक्ष में हो, वही अपनाए जाना चाहिए।

86. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करना चाहिए और संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। यह भी स्थापित विधि है कि अपराध जितना गंभीर होगा, सबूत का स्तर भी उतना ही कठोर होना चाहिए, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को झूठे अपराधों से बचाया जा सके। उक्त मामले में परिस्थितियों की कड़ियां आपस में इस तरह से नहीं जुड़ती हैं, जो कि समग्र रूप से जुड़कर यह प्रमाणित करें कि केवल और केवल ही अभियुक्तगण के द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है और अभियोजन को सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना मामला स्थापित व साबित करे, वह भी अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में किसी युक्तियुक्त स्वीकारात्मक साक्ष्य के प्रस्तुत करने के द्वारा, इसके लिए अभियोजन का मामला ''अवश्य ही सत्य होना चाहिए'' की श्रेणी का होना चाहिए, न कि ''सत्य हो सकता है'' जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा *न्याय दृष्टांत राजीव सिंह विरूद्ध बिहार राज्य व एक अन्य (2015) 16 एस.सी.सी. 369* में प्रतिपादित किया गया है। उक्त संबंध में अन्य *न्याय दृष्टांत रेणु कुंता विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य 2004 (4) क्राइम्स 241 सुप्रीम कोर्ट* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि किसी व्यक्ति को ऐसी साक्ष्य पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, जो शंकास्पद हो, इसी तरह एक अन्य *न्याय दृष्टांत कालू विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2007 (1) जे.एल.जे. 345* में यह प्रतिपादित किया गया है कि संदेह वैध सबूत का स्थान नहीं ले सकता –''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य ही होगा'' में अंतर है।

87. अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह ने दिनांक 02.11.17 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उससे पूर्व स्थान ग्राम डिगांव–बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर पर वाहन बोलेरो क्रमांक आर जे 27 यू ए 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल मात्रा 225 किलोग्राम जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का विनिर्मित उत्पाद होकर मादक पदार्थ

है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका अवैध परिवहन किया, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था।

88. अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह, प्रहलाद ने सहअभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह उर्फ टूजी के साथ मिलकर मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन करने का आपराधिक षड्यंत्र किया, जिसके अग्रसरण में दिनांक 02.11.2017 को समय शाम 13.30 बजे से 20.28 बजे के मध्य अथवा उसके पूर्व ग्राम डिगांव बसई रोड, बैखेड़ा फंटा प्रतीक्षालय के पास, पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर पर सहअभियुक्तगण दशरथसिंह व विजयसिंह उर्फ टूजी वाहन बोलेरो क्रमांक आर.जे. 27 यू.ए. 4499 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 10 बोरों में कुल 225 किलोग्राम, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का मादक पदार्थ है, को सचेतन अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन करते हुए और उसके क्रय–विक्रय की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होना पाये गये, जिसको रखने का उनके पास कोई वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन के आगे सहअभियुक्त उदयसिंह व अंबालाल पायलेटिंग करते हुए चल रहे थे और उक्त माल प्रहलाद को देने जा रहे थे, इस प्रकार उन्होंने अपराध में दुष्प्रेरण कर अपराध को सुकर बनाया।

89. तद्कारण संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण दशरथसिंह एवं विजयसिंह को धारा 8(सी)/15(सी) एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं अभियुक्तगण अम्बालाल, उदयसिंह, प्रहलाद को धारा 8(सी)/15(सी) सहपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

90. अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि दशरथसिंह दिनांक 06.11.2017 से दिनांक 02.08.2021 तक, अभियुक्त विजयसिंह दिनांक 05.05.2018 से दिनांक 15.06.2018 तक, अभियुक्त अम्बालाल दिनांक 26.12.2017 से दिनांक 12.07.2018 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं। अतः उक्त संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रमाण पत्र तैयार किये जावें, जो कि अभिलेख का भाग होगें। प्रकरण में अभियुक्तगण उदयसिंह उर्फ शकील एवं प्रहलाद अग्रिम जमानत पर मुक्त रहे हैं।

91. अभियुक्तगण दशरथसिंह, विजयसिंह, अम्बालाल, उदयसिंह एवं प्रहलाद की जमानत एवं बंधपत्र के संबंध में धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत आदेश पत्रिका में पृथक से आदेश पारित किया गया।

92. प्रकरण के सहअभियुक्त सत्तार मोहम्मद के विरूद्ध धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत उक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध विचारण के दौरान कोई पूरक अभियोग पत्र थाना नाहरगढ़ के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त अभियुक्त के अन्वेषण, जॉच, विचारण के लिए प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के अंतिम

Contd. -----34

व्ययन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

93. प्रकरण के सहअभियुक्त सत्तार मोहम्मद के विरूद्ध धारा 173 (8) द.प्र. सं. के तहत उक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध विचारण के दौरान कोई पूरक अभियोग पत्र थाना नाहरगढ़ के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त अभियुक्त के अन्वेषण, जॉच, विचारण हेतु प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जावे, नष्ट न किया जावे। उक्त हेतु अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से उक्त आशय की टीप अंकित की जावे कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

94. धारा 365 दं.प्र.सं. के तहत निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी मंदसौर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया गया।

स्थान : मंदसौर

दिनांक : 17 अक्टूबर, 2025

—सही/—
(विवेक बुखारिया)
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट) मंदसौर (म.प्र.)

VIVEK BUKHARIYA

Digitally signed by VIVEK BUKHARIYA
Date: 2025.10.17 17:40:08 +0530